रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग —खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 1971/कार्तिक 27, 1893
No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 1971/KARTIKA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th November 1971

SUBJECT.—*Import policy for Registered Exportors for the period April '1971—March 1972 (Amendment No. 38)*

No. 158-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book Vol. II for the period April 1971—March 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71 dated 30th April 1971.

2. Under paragraph 39(ii) of Part D of Section I of the aforesaid Policy Book there is a provision for allowing items under Registered Exporters Policy on the basis of an Actual User's licence as per the conditions laid down therein. Under Public Notice No. 46-ITC(PN)/71 dated 30th April, 1971, it was clarified that release orders, for raw materials and components issued on or after 1st April, 1971, under the A.U. policy to the same Industrial Unit would hold good for the purpose of

operation of para 39(ii) referred to above, for all items except for certain specified items which would be notified later. The list of these items has since been finalized and is indicated below:—

(i) Polythelene.
(ii) P. V. C. Resin.
(iii) Cellulose acetate, butyrate moulding powder.
(iv) Raw Silk.
(v) Mercury.
(vi) Golatine Capsules.
(vii) Plasticisers all sorts.
(viii) Raw Wool.
(ix) Nylon moulding powder.
(x) Tinplate waste/waste.
(xi) Stainless steel sheets, strips, circles and plates.
(xii) Milk powder.
(xiii) Man-made fibre and yarn (cellulose and non-cellulose).

3. No release orders will be issued in regard to the above items under the REP entitlements on the basis of Actual Users licences/release orders of the applicant where requests in this regard are made under para 39(ii) of Part B of Section 1 of Vol. II of the Policy Book.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1971

विषय .—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 38).

संख्या 158 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० : 44—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उपर्युक्त नीति पुस्तक के खण्ड 1 के भाग बी की कंडिका 39 (2) के अनुसार पंजीकृत निर्यातक नीति के अन्तर्गत उसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के आधार पर मदों के आयात के लिए स्वीकृति देने की व्यवस्था है । सार्वजनिक सूचना संख्या 46—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत यह घोषणा की गई थी कि वास्तविक उपयोक्ता नीति के अन्तर्गत इसी तरह के वे औद्योगिक एकक जिनको कच्चे माल और संघटकों के लिए 1-4-71 को या इसके बाद में जो रिहाई आदेश जारी किए गए थे, वे

विशिष्टिकृत कुछ मदों को छोड़ कर जिनको बाद में अधिसूचित किया जाएगा, ऊपर उल्लिखित कंडिका 39 (2) के परिचालन के विचार से लागू होंगे । जब से इन मदों को अन्तिम रूप दिया गया है उनको नीचे दिया गया है : —

(1) पालिथेलिन ।
(2) पी० वी० सी० से रेजिन ।
(3) सेलूलोज एसेटट, ब्यूटिरेट मोल्डिंग पाउडर ।
(4) कच्चा रेशम ।
(5) मर्करी ।
(6) गेलेटाइम केपसूल्य ।
(7) सभी प्रकार के प्लास्टिसाइजर ।
(8) कच्चा ऊन ।
(9) नायलन मोल्डिंग पाउडर ।
(10) टीन प्लेट वेस्ट/वेस्ट
(11) जंगावरोधी इस्पात शीट्स, स्ट्रीप्स, सर्किल्स और प्लेट्स ।
(12) दूध चूर्ण ।
(13) हस्तनिर्मित धागे और सूत (सेलूलोज और नान सेलूलोज)

3. जहां पर इस सम्बन्ध में नीति पुस्तक के वा० 2 के खण्ड 1 के भाग बी की कंडिका 39 (2) के अन्तर्गत आवेदन किए जाते हैं तो आवेदक के वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों / रिहाई आदेशों के आधार पर पंजीकृत निर्यातक नीति हकदारी के लिए उपर्युक्त मदों के सम्बन्ध में रिहाई आदेश नहीं जारी किए जाएंगे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971